रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937
No.170] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAIT RA 2, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

सा.का.नि. 221(अ).– केंद्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हता और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2011 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अर्हता और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हता और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं -इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) अभिप्रेत है ;

(ख) "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

3. **अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं-** कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन के लिए चयनित किए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब -

(क) वह किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण से संबंधित विज्ञान में मास्टर डिग्री या पर्यावरण से संबंधित विद्या शाखा में इंजीनियरी में बैचलर डिग्री रखता हो और पर्यावरण संरक्षण, जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण भी है, जल उपचार या वायु प्रदूषण नियंत्रण युक्तियों से संबंधित ज्ञान और पन्द्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव रखता हो और पच्चीस वर्ष की सेवा की हो ; या

(ख) वह केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकाय या कानूनी निकाय के अधीन कोई अधिकारी है; और-

(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर कोई सदृश पद धारण करता है ; या

(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-4 (37,400- 67,000 रु.) के साथ 10,000 रु. के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है ; और

(iii) खंड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव रखता है ; या

(ग) अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा में है या रहा है और नियमित आधार पर भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति का पद धारण किया है या भारत सरकार के अपर सचिव के रूप में पैनलित है या भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में पैनलित किए जाने के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है तथा विज्ञान या इंजीनियरी में डिग्री रखता है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान और कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखता है।

**स्पष्टीकरण—**

(1) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण प्रबंधन में डॉक्टरेट की डिग्री और समकक्ष पुनर्विलोकित अनुसंधान प्रकाशनों का अतिउत्तम रिकार्ड तथा सेवा कार्मिकों के लिए पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव वांछनीय अर्हता होगी।

(2) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामांकन हेतु चयनित किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी लोक सेक्टर उपक्रम अथवा किसी विश्वविद्यालय या किसी स्वायत्तशासी निकाय अथवा कानूनी निकाय के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी का, प्रतिनियुक्ति आधार पर अध्यक्ष के रूप में नामांकन के लिए विचार किया जाएगा।

(3) उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के अधीन उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पूर्ववर्ती धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट योग्यता और त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा का होगा और उसके पूर्ववर्ती नियोजन तथा अध्यक्ष का पद भार ग्रहण करने के बीच कोई हित विरोध नहीं होगा।

4. **आयु सीमा** – नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. **भर्ती की पद्धति**— अध्यक्ष की नियुक्ति खोज-सह-चयन समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(i) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सचिव – सदस्य ;

(iii) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का सचिव – सदस्य ;

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव – सदस्य ;

(v) एक विशेषज्ञ सदस्य, जो मंत्रिमंडल सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य।

6. **वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें**-(1) अध्यक्ष, 67,000-79,000 रु. के वेतनमान में (उच्च प्रशासनिक ग्रेड + वेतनमान) तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतन-वृद्धि सहित वेतन प्राप्त करेगा।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, अध्यक्ष निम्नलिखित का हकदार होगा,-

(क) भारत सरकार के अपर सचिव को यथा अनुज्ञेय नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता :

परंतु जहां अध्यक्ष को केंद्रीय सरकार द्वारा आवास का आबंटन किया जाता है, वहां वह मकान किराया भत्ता का हकदार नहीं होगा और उससे भारत सरकार के अपर सचिव को यथा लागू अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करना अपेक्षित होगा ;

(ख) अध्यक्ष के रूप में उसके कर्तव्यों के संबंध में उसके द्वारा की गई यात्राओं की बाबत भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता ;

(ग) भारत सरकार के अपर सचिव को यथा अनुज्ञेय चिकित्सा सुविधाएं।

(3) भत्तों, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण का समय, कार्यभार ग्रहण समय के वेतन, भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षिता की आयु, सेवा निवृत्ति फायदे और सेवा की अन्य शर्तों के विषय में अध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो तत्समय उन स्थानों पर आस्थित तत्सम वेतनमान वाले अधिकारियों को लागू हैं।

7. **निरर्हता**- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

8. **शिथिल करने की शक्ति**-जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. ए-12018/1/2014(सीपीडब्ल्यू)]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2015

**G.S.R. 221(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 63 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and in supersession of the Central Pollution Control Board (Qualifications and other Terms and Condition of Service of Chairman), Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the qualifications and other terms and conditions of service of the Chairman of the Central Pollution Control Board, namely :–

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Pollution Control Board (Qualifications and other Terms and Conditions of Service of Chairman), Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution Act, 1974 (6 of 1974);

(b) "Central Pollution Control Board" means the Central Pollution Control Board constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Central Pollution Control Board.

3. **Educational and other qualifications for appointment as Chairman.** – (1) No person shall be eligible for being selected for nomination as the Chairman under clause (a) of sub-section (2) of section 3 of the Act, unless, -

(a) he possesses Master's Degree in science relating to environment or Bachelor's Degree in engineering in a discipline relating to environment from a recognized University or institute and has special knowledge and fifteen years practical experience relating to the environment protection, including industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices and has rendered twenty five years of service; or

(b) he is an officer under the Central Government or State Government or public sector undertaking or a University or autonomous body or statutory body, and-

(i) holds an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) has three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-4 (Rs. 37,400 – 67,000) with Grade Pay of Rs. 10,000 in the parent cadre or department; and

(iii) possesses the qualifications and experience specified in clause (a); or

(c) is or has been in All India Service or in any Civil Service of the Union, holding the post in the rank of Additional Secretary to the Government of India on regular basis, or empanelled as Additional Secretary to the Government of India, or having three years of regular service in the grade rendered after empanelment as Joint Secretary to the Government of India, and possesses a Degree in Science or Engineering and has knowledge and experience of at least three years in areas related to environment protection.

**Explanation –**

(1) For the purposes of this sub-rule, a doctor's degree in environmental management from a recognized university or institute and excellent record of peer reviewed research publications and experience of organizing environment related training programmes for service personnel shall be desirable qualification.

(2) An officer working under the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a University or an autonomous body or statutory body selected for nomination as the Chairman under clause (a) of sub-section (2) of section 3 of the Act, shall be considered for nomination as the Chairman on deputation basis.

(3) For the purpose of sub-rule (2), the period of central deputation including period of central deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation under the Ministry or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

(4) The person to be nominated as Chairman shall be of outstanding merit and impeccable integrity with no possibility of conflict of interest between his earlier employment and in holding the charge of the post of Chairman.

4. **Age Limit.**–The maximum age limit for nomination as Chairman shall be not exceeding fifth-six years as on the last date for the receipt of applications.

5. **Mode of recruitment** – (i) The Chairman shall be appointed by a Search-cum-Selection Committee consisting of the following namely:—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | Cabinet Secretary | ... | Chairman |
| (ii) | Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change | ... | Member |
| (iii) | Secretary, Department of Personnel and Training | ... | Member |
| (iv) | Secretary, Ministry of Science and Technology | ... | Member |
| (v) | An expert member to be nominated by the Cabinet Secretary | ... | Member |

6. **Pay, allowances and other conditions of service.**–(1) The Chairman shall receive pay in the pay scale of Rs. 67,000-79,000 (Higher Administrative Grade plus scale) with an annual increment at the rate of three percent.

(2) In addition to the pay specified in sub-rule (1), the Chairman shall be entitled to,—

(a) a city compensatory allowance and house rent allowance as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India:

Provided that where the Chairman is allotted an accommodation by the Central Government, he shall not be entitled to house rent allowance and shall be required to pay a licence fee as applicable to an Additional Secretary to the Government of India;

(b) the travelling allowance and daily allowance, in respect of journeys undertaken by him in connection with his duties as the Chairman, at the rates permissible in the case of an Additional Secretary to the Government of India;

(c) the medical facilities as are admissible to an Additional secretary to the Government of India.

(3) The other conditions of service of the Chairman in the matters of allowances, leave, joining time, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits and other conditions of service shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers belonging to the corresponding pay scale stationed at those places.

7. **Disqualification**–No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person or the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**8. Power to relax**–Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. A-12018/1/2014-CPW]
Dr. RASHID HASAN, Advisor

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.